

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, अम्बेदकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवम् श्रावस्ती (75 जनपद)।

पत्रांक/001डीबीए/ 142/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017-18 लखनऊ:दिनांक:

01 मई
अप्रैल, 2017

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षक: '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु लेखानुदान अवधि हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या-02/2017/115/64-2-2017-1(01)/2017 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा निदेशालय के अधिष्ठान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु अन्तरिम आवश्यक धनराशि के सापेक्ष रू0 7,35,63,000.00 (रू0 सात करोड़ पैंतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार जनपदीय कार्यालयों को व्यय हेतु रू0 3,80,56,500.00 (रूपया तीन करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती है:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-संख्या-03/2017/बी-1-248/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः

स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।
- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8- आवंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा।
- 16- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
 - 1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
 - 2- प्रारम्भिक/व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण दिनांक 15.10.2017 तक।
 - 3- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2017 तक।
 - 4- वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2018 तक।
 - 5- वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2018 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02पर अंकित है।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

पृ0सं0: 001डीबीए/ 142/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(महेश कुमार गुप्ता)
निदेशक

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-21/04/2017

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

001-DBA
79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	01-वेतन	03-महागाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	310800 310800	12500 12500	0 0	18700 18700	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	465000 465000
2	मुजफ्फर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	438800 438800	17600 17600	0 0	26400 26400	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	605800 605800
3	मेरठ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	121600 121600	4900 4900	0 0	7300 7300	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	256800 256800
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 0	0 0	0 0	0 0	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	123000 123000
5	अलीगढ़-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	214400 214400	8600 8600	0 0	13000 13000	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	359000 359000
6	मथुरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	309200 309200	12400 12400	0 0	18600 18600	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	463200 463200
7	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	588400 588400	23600 23600	10000 10000	35300 35300	10000 10000	36000 36000	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	129100 129100	30000 30000	0 0	945400 945400
8	मैनपुरी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	241600 241600	9700 9700	0 0	14500 14500	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	388800 388800
9	एटा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	511200 511200	20500 20500	0 0	30700 30700	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	28000 28000	30000 30000	0 0	713400 713400
10	बरेली-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	477200 477200	19100 19100	0 0	28700 28700	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	648000 648000
11	बिजनौर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	363200 363200	14500 14500	0 0	21900 21900	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	522600 522600
12	बदायूँ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 0	0 0	0 0	0 0	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	123000 123000
13	मुरादाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	553200 553200	22200 22200	40000 40000	33200 33200	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	50000 50000	821600 821600
14	शाहजहापुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	470400 470400	18800 18800	0 0	28300 28300	10000 10000	12000 12000	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	652500 652500
15	पीलीभीत-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	288400 288400	11600 11600	0 0	17300 17300	10000 10000	0 0	4000 4000	4000 4000	25000 25000	50000 50000	0 0	30000 30000	0 0	440300 440300

